recommended for abolition of orderly system for senior police officers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have accepted the recommendation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) Yes, Sir

It has recommended abolition of orderly system as it exists at present and has suggested another system of attaching constables to officers for attending to specific official work, such as, (i) Attend to petitioners, complainants and other visitors who come to see the officer, (ii) telephone calls particularly during the officer's absence and furnish helpful replies; (iii) pass on messages to subordinate officers; and (iv) accompany officer on his field work to afford him necessary security and assistance.

(b) and (c) The Report submitted by the National Police Commission will need examination in consultation with State Governments.

सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए विषय

2366 श्री सुरेन्द्र सिंह क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ऐसे विषयों के नाम क्या हैं जो पुरानी योजना के अन्तर्गत आई.ए.एस. परीक्षा के लिये सम्मिलित थे परन्तु अब भारत सरकार को सिविल सेवा परीक्षा की नई पद्धति के अन्तर्गत वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं,

(ख) क्या साख्यिकी एक ऐसा विषय है जो अब तक आई.ए.एस. परीक्षा के लिये विषय था परन्तु नई योजना के अन्तर्गत इसे विषयों की सूची में से निकाल दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) सभी भाषाओं और विषयों को समान महत्व देने की नीति कब तक अपनायी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) पुरानी योजना के अधीन, 1978 तक, भारतीय प्रशासनिक सेवा यदि परीक्षा में शामिल किए गए वैकल्पिक विषय और अतिरिक्त विषय तथा सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना के अधीन प्रारम्भिक परीक्षा तथा प्रधान परीक्षा में शामिल किए गए वैकल्पिक विषय अनुबन्ध में दिए गये हैं। निम्नलिखित विषयों को, जिन्हें पुरानी योजना में शामिल किया गया था, नई योजना में बिल्कुल कोई स्थान नहीं दिया गया है —

(1) चीनी साहित्य

(2) पाली साहित्य

(3) नृ-विज्ञान

(4) अरब तथा फारसी साहित्य आदि में मध्यकालीन सभ्यता।

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा का पुरानी योजना के अधीन साख्यिकी, निम्न वैकल्पिक विषयों में से एक विषय था नई योजना में इसे एक अलग विषय के रूप में स्थान न दे कर मुख्य परीक्षा के लिए गणित के पेपर में शामिल किया गया है। यह व्यवहार्य नहीं समझा जाता कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी–I में भर्ती के लिए भर्ती नीति एवम् चयन पद्धति पर कोठारी समिति ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की —

"सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची बनाते समय हम एक जटिल समस्या का सामना करते हैं। जैसा कि पहले अध्याय में कहा गया था, प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए यह सूची इतनी सीमित नहीं होनी चाहिए जिससे इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों को विषय चुनने में ही कठिनाई हो। इसके विपरीत, अगर सूची काफी लम्बी हो गई तो भी स्तर में एकरूपता बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जब वैकल्पिक विषयों की सूची काफी लम्बी हो जाती है तो विभिन्न विषयों में बैठने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही परीक्षा अनेक अलग अलग परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, अगर इसके विपरीत कोई सबल कारण न हो तो उनको पाठ्यक्रम में रखना नहीं चाहिए।

यह स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। हमने प्रधान परीक्षा में अधिक सामान्य विषयों में से लगभग सभी को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है—केवल उन्हीं विषयों को छोड़कर जो विशेष रूप से व्यावसायिक या प्राविधिक होते हैं। विभिन्न सेवाओं की सामान्य आवश्यकताओं को भी हमने दृष्टि में रखा है।

तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की सूची बनाने में अनेक परस्पर विरोधी आवश्यकताओं और अवरोधों के बीच में समझौता करना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि विशेषज्ञों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद प्रारंभिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए हमने जो विषय सूचियां तैयार की हैं, सामान्य रूप से वे संतोषजनक पाई जाएंगी। इन सूचियों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के परामर्श से, समय समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षा होनी चाहिए।"

आयोग सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची की पुनरीक्षा समय समय पर करता रहेगा।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि उम्मीदवार, सिविल सेवा परीक्षा 1979 से प्रधान परीक्षा के लिए भाषा के प्रश्न पत्र तथा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का छोड़कर, सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई भाषाओं की सूची में से उम्मीदवार को पसन्द की किसी भी एक भाषा का भी प्रधान लिखित परीक्षा में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को उम्मीदवार के प्रतियोगिता रैंक में शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तु उमीदवार के लिए अर्हता अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

विवरण

पुरानी योजना के अधीन 1978 तक भा० प्र० से० आदि परीक्षा में शामिल किए गए विषय (1)	सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना में शामिल किये गये विषय (2)

वैकल्पिक विषय

विषय	कोड संख्या
शुद्ध गणित	01
अनुप्रयुक्त गणित	02
सांख्यिकी	03
भौतिकी	04
रसायन	05
वनस्पति विज्ञान	06
प्राणि विज्ञान	07
भूविज्ञान	08
भूगोल	09
अंग्रेजी साहित्य	10
निम्नलिखित में से एक —	
असमिया	11
बंगला	12
गुजराती	13
हिन्दी	14

(क) प्रारम्भिक परिक्षा

वैकल्पिक विषयों की सूची

कृषि विज्ञान
वनस्पति विज्ञान
रसायन विज्ञान
सिविल इंजीनियरी
वाणिज्य शास्त्र
अर्थ शास्त्र
विद्युत इंजीनियरी
भूगोल
भू-विज्ञान
भारतीय इतिहास
विधि
गणित
यांत्रिक इंजीनियरी
दर्शन
भौतिकी

(1)		(2)
कन्नड़	15	राजनीती विज्ञान
कश्मीरी	16	मनोविज्ञान
मलयालम]	17	समाज शास्त्र
मराठी	18	प्राणिशास्त्र
उड़िया	19	
पंजाबी	20	नोट :—(i) दोनो ही प्रश्न पत्र वस्तुपरक (बहु-विकल्प प्रश्न) होंगे ।
सिंधी देवनागरी	21	
सिंधी अरबी	22	
तमिल	23	(ii) प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में तैयार किए जाएंगे ।
तेलगु	24	
उर्दु	25	(iii) ऐच्छिक विषयो के लिए पाठय विवरणो की पाठ्यक्रम सामग्री डिग्री स्तर की होगी ।
निम्नलिखित में से एक :—		
अरबी	26	
चीनी	27	
फ्रेंच	28	
जर्मन	29	
पाली	30	
फारसी	31	
रूसी	32	
संस्कृत	33	
भारतीय इतिहास	34	(ख) प्रज्ञान परिक्षा
ब्रिटिश इतिहास	35	
यूरोपीय इतिहास	36	वैकल्पिक विषयों की सूची :—
		कृषि विज्ञान
विश्व इतिहास	37	वनस्पति विज्ञान
सामान्य अर्थ शास्त्र	38	रसायन विज्ञान
राजनीति विज्ञान	39	सिविल इंजीनियरी
दर्शन शास्त्र	40	वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा-विधि
मनोविज्ञान	41	अर्थ शास्त्र
विधि—I	42	विद्युत् इंजीनियरी
विधि—II	43	
विधि—III	44	भूगोल
अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	45	भू-विज्ञान
समाज शास्त्र	46	इतिहास
		विधि

शर्त यह है कि विशेष वैकल्पिक विषयों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होंगे :—

(i) सेवाओं पदों के किसी वर्ग के लिए कोड 01, कोड 02, तथा कोड 03, वाले विषयों में से दो से अधिक विषय नही चुने जा सकते ।

निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का साहित्य :—

असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगु, उर्दु, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी तथा अंग्रेजी ।

(1)	(2)
(ii) कोड 11 से 25 तक के विषयो में से केवल एक ही लिया जा सकता है।	प्रबन्ध एव लोक प्रशासन गणित यांत्रिक इजीनियरी
(iii) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओ/पदों के उम्मीदवार ऊपर कोड 26–33 तक दी गई भाषाओ में से एक से अधिक न चुनें। केवल भारतीय विदेश सेवा के उम्मीदवारो को इन भाषाओ में से कोई दो चुनने की अनुमति है लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पाली (कोड 30) और सस्कृत (कोड 33) दोनो चुनने की अनुमति नही दी जाएगी।	दर्शन शास्त्र भौतिकी राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मनोविज्ञान समाज शास्त्र प्राणि विज्ञान

(iv) सवाओ / पदो के किसी भी वर्ग के लिए इतिहास के विषयो कोड 34, 35, 36, तथा 37 में से दो से अधिक नही चुने जा सकते। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास (कोड 36) और विश्व इतिहास (कोड 37) दोनो चुनने की अनुमति नही दी जायेगी।

(v) कोड 40 और 41 में उल्लिखित विषयो में से सेवाओ / पदों के किसी वर्ग के लिए केवल एक ही विषय लिया जा सकता है।

(vi) किसी भी वर्ग के लिए विधि के विषय कोड 42, 43, और 44 में से दो से ज्यादा नही चुने जा सकते।

(vii) वर्ग के अन्तर्गत सेवाओ / पदो के लिए कोड 45 विषय न चुना जाए।

अतिरिक्त विषय

विषय	कोड सख्या
उच्च शुद्ध गणित अथवा	50
उच्च अनुप्रयुक्त गणित	51
उच्च भौतिकी	52
उच्च रसायन विज्ञान	53
उच्च वनस्पति विज्ञान	54
उच्च प्राणि विज्ञान	55
उच्च भू-विज्ञान	56
उच्च भू गोल	57
अंग्रेजी साहित्य (1798—1935)	58
भारतीय इतिहास—I (चन्द्र गुप्त मौर्य से हर्ष तक) या	59

नोट (i) उम्मीदवारो को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी —

(क) राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एव लोक प्रशासन

(ख) वाणिज्य शास्त्र एव लेखा विधि तथा प्रबन्ध एव लोक प्रशासन

(ग) इजीनियरी विषयो जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत् इजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी मे से एक से अधिक विषय नही।

(ii) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबन्ध शैली के होगे।

(iii) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घण्टे की अवधि का होगा।

(iv) प्रश्न पत्रो के उत्तर सविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में अथवा अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी।

(v) सभी प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे।

(1)		(2)
भारतीय इतिहास-II (मुगल महान 1526—1707) अथवा	60	
भारतीय इतिहास-III (1772-1950) अथवा	61	
ब्रिटिश सांविधिक इतिहास (1603 से 1950 तक) अथवा	62	
योरोपीय इतिहास (1871 से 1945 तक)	63	
उन्नत अर्थशास्त्र अथवा	64	
उन्नत भारतीय अर्थशास्त्र	65	
हाब्स से मार्क्स तक के राजनीतिक सिद्धान्त अथवा	66	
राजनीतिक संगठन और लोक प्रशासन अथवा	67	
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	68	
उच्च तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा सहित अथवा	69	
उन्नत मनोविज्ञान जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है।	70	
भारतीय सांविधिक विधि अथवा	71	
न्यायशास्त्र	72	
अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी) अथवा	73	
फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्य युगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी) अथवा	74	
प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र	75	
मानव विज्ञान	76	
उन्नत समाज शास्त्र	77	

विशिष्ट अतिरिक्त विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू किए जायेंगे :—

(1) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास-I (कोड-59) तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन (कोड 75) दोनों ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी भी उम्मीदवार को यूरोपीय इतिहास (कोड 63) तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (कोड 68) दोनों विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।